

राजस्थान सरकार
पशुपालन विभाग

क्रमांक:-एफ.वी.1(2)(21)/योजना/बजटघोषणा.88/2021-22/

दिनांक:-

निदेशक
पशुपालन विभाग,
जयपुर।

विषय:- पशु चिकित्सा उपकेन्द्रों को पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत करने बाबत।
संदर्भ:- बजट घोषणा 2021-22 एवं शासकीय स्वीकृति क्रमांक एफ.वी.1(2) (21)/योजना/
बजटघोषणा 88/2021-22/139 दिनांक 13.05.21

उपरोक्तानुसार विषयान्तर्गत लेख है कि बजट घोषणा 2021-22 के बिन्दु संख्या-88 की अनुपालना में 200 पशु चिकित्सा उपकेन्द्रों को पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया जाना है। इस संबन्ध में निम्नलिखित 12 पशु चिकित्सा उपकेन्द्रों को पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत किये जाने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है-

| क्रम संख्या | जिला | पंचायत समिति | उपकेन्द्र का नाम जिसे पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया जाना है। |
|-------------|--------------------|--------------|--|
| 1 | अलवर | कटूमर | गारु |
| 2 | अलवर | कोटकासिम | नांगल सालिया |
| 3 | अलवर | बहरोड | दहमी |
| 4 | अलवर | मुण्डावर | जाट बहरोड |
| 5 | राजसमन्द | खमनोर | कोशिवाडा |
| 6 | राजसमन्द | देलवाडा | केसूली |
| 7 | चूरु | रतनगढ | दाउदसर |
| 8 | चूरु | राजगढ | घणाऊ |
| 9 | नागौर (कुचामनसिटी) | नावां | ठिकरियां |
| 10 | झुन्झुनु | चिडावा | गिडानिया |
| 11 | जयपुर | फागी | नारेडा |
| 12 | जयपुर | दूदू | रहलाना |


उक्त स्वीकृति वित्त विभाग की आई.डी संख्या 152100418 दिनांक 04.05.2021 के द्वारा प्राप्त सहमति के आधार पर जारी की गयी है।

-sd-
(डा.लक्ष्मीकान्त बालोत)
संयुक्त शासन सचिव
दिनांक:- 16/11/2021

क्रमांक:-एफ.वी.1(2)(21)/योजना/बजट घोषणा.88/2021-22/2005-2012

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-


1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, कृषि, पशुपालन एवं मत्स्य विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मंत्री महोदय, पशुपालन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. संयुक्त शासन सचिव, आयोजना विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
6. निदेशक वित्त (बजट), वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. मुख्य लेखाधिकारी, पशुपालन निदेशालय, जयपुर।
8. रक्षित पंजिका।


संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार
निदेशालय पशुपालन विभाग

क्रमांक:-एफ.वी.1(2)(21)/योजना/बजट घोषणा.88/2021-22/ 2036-60 दिनांक 17-11-2021
प्रतिलिपि :-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

- 1 निजी सचिव, निदेशक, निदेशालय पशुपालन विभाग।
- 2 अतिरिक्त निदेशक, उत्पादन/स्वास्थ्य/फार्म एवं सम्पदा/दवा प्रकोष्ठ/मोनिटरिंग, निदेशालय पशुपालन विभाग।
- 3 अतिरिक्त निदेशक (क्षेत्र), बीकानेर/उदयपुर/जयपुर/जोधपुर/अजमेर पशुपालन विभाग।
- 4.संयुक्त निदेशक, जयपुर/अलवर/नागौर/राजसमन्द/झुन्झुनु/चुरु/पशुपालन विभाग, एवं उपनिदेशक (कुचामनसिटी) को प्रेषित कर लेख है कि यह सुनिश्चित कर ले कि उक्त केन्द्रों से संबंधित ग्राम पंचायत क्षेत्र के किसी भी ग्राम में पूर्व से कोई विभागीय संस्था स्वीकृत नहीं है।
- 5 संयुक्त निदेशक सांख्यिकी/प्रजनन एवं गौशाला निदेशालय पशुपालन विभाग।
- 6 उप निदेशक विस्तार/कम्प्यूटर शाखा निदेशालय पशुपालन विभाग।
- 7 प्रभारी संस्थापन ब-2, संख्याबल, निदेशालय पशुपालन विभाग।
- 8 रक्षित पत्रावली।



उप निदेशक(योजना)